



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24012024-251577
CG-DL-E-24012024-251577

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 24, 2024/माघ 4, 1945

No. 316]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 24, 2024/MAGHA 4, 1945

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2024

का.आ. 332(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 23 की उपधारा (3) के साथ पठित विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 46 की उपधारा (2) के खंड (कक) और खंड (कछ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर क्रृष्ण लिखत) नियम, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर क्रृष्ण लिखत) संशोधन नियम, 2024 है।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- विदेशी मुद्रा प्रबंध (गैर क्रृष्ण लिखत) नियम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में:
 - खंड (कक) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
'(ककक) "अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज" से अनुज्ञेय अधिकारिता में अनुज्ञात स्टॉक एक्सचेंज अभिप्रेत है जो इन नियमों से उपावद्ध अनुसूची 11 पर सूचीबद्ध हैं';
 - खंड (कछ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

'(कद्द) "सूचीबद्ध भारतीय कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है जिसके पास उसके कोई साम्य लिखत या क्रहण लिखत भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है और "असूचीबद्ध भारतीय कंपनी" पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;';

(iii) खंड (कट) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

'(कटक) "अनुज्ञेय अधिकारिता" से ऐसी अधिकारिता अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार द्वारा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उपनियम (3) के उपखंड (च) के अधीन अधिसूचित की जाएः';

3. मूल नियमों में, अध्याय 9 के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय में अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'अध्याय 10

भारत में निगमित और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के साधारण शेयरों में अनुज्ञेय धारक द्वारा विनिधान

34. अनुज्ञेय धारक द्वारा विनिधान .- (1) अनुज्ञेय धारक द्वारा विनिधान कोई अनुज्ञेय धारक पब्लिक भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों का क्रय या विक्रय कर सकेगा जो अनुसूची 11 में विनिर्दिष्ट "अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करना स्कीम" के अधीन अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध है या सूचीबद्ध किया जाना है है।

(2) संदाय का ढंग और निर्गम के आगम के प्रेषण के लिए अन्य अनुवर्ती शर्तें रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट की जाएंगी।'

4. मूल नियमों की अनुसूची 10 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

'अनुसूची 11

[नियम 34 देखें]

अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर भारत में निगमित कंपनियों के साधारण शेयरों को सीधे सूचीबद्ध करना स्कीम

1. **अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों में निर्गम और सूचीबद्ध करना .-** कोई पब्लिक भारतीय कंपनी निम्नलिखित शर्तों के अधीन साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या विद्यमान शेयरधारकों के साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेगी:

- (i) ऐसे निर्गम या विद्यमान शेयरधारकों के साधारण शेयरों की प्रास्थापना अनुज्ञात की जाएगी और ऐसे शेयरों को किसी भी विनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध किया जाएगा।
- (ii) ऐसे निर्गम या विद्यमान शेयरधारकों के साधारण शेयरों की प्रास्थापना प्रतिपिछ्व कार्यकलापों और इन नियमों की अनुसूची 1 के पैरा 2 और पैरा 3 में विहित क्षेत्रीय सीमाओं के अधीन होगी।
- (iii) पब्लिक भारतीय कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाने वाले या अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर अपने विद्यमान शेयरधारकों द्वारा प्रस्थापित किए जाने वाले ऐसे साधारण शेयर डेमिटरिलाइस्ड रूप में होंगे और भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध साधारण शेयरों के बराबर रैंक के होंगे।

परंतु पूर्व सरकारी अनुमोदन, जहां भी लागू हो, प्राप्त किया जाएगा।

2. **अनुज्ञेय धारक .-** (क) अनुज्ञेय धारक से ऐसी कंपनी के साधारण शेयरों के धारक अभिप्रेत है जो अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध हैं, जिसमें इसके हिताधिकारी स्वामी भी सम्मिलित हैं:

परंतु ऐसा धारक जो किसी ऐसे देश का नागरिक है जो भारत के साथ भू-सीमा साझा करता है, या ऐसे देश में निगमित कोई इकाई या कोई ऐसी इकाई जिसका हिताधिकारी स्वामी उस देश से है, ऐसी पब्लिक भारतीय कंपनी के साधारण शेयर केवल केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से धारण करेगा।

स्पष्टीकरण 1: इस खंड के प्रयोजनों के लिए, अनुज्ञेय धारक भारत का निवासी व्यक्ति नहीं है।

स्पष्टीकरण 2: अनुज्ञेय धारक, जिसमें इसके हिताधिकारी स्वामी भी सम्मिलित हैं, इस अपेक्षा का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे। पब्लिक भारतीय कंपनी, अपने प्रस्थापना दस्तावेज में, अनुज्ञेय अधिकारिता में इसे चाहे किसी भी नाम से बुलाया जाए, इस आशय का प्रकटन करेगी।

(ख) कोई अनुज्ञेय धारक इन नियमों के अधीन विदेशी पोर्टफोलियो विनिधान के लिए विनिर्दिष्ट सीमा के अधीन किसी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर सूचीबद्ध भारतीय कंपनी के साधारण शेयरों का क्रय या विक्रय कर सकेगा।

3. पात्रता .– (1) (I) कोई पब्लिक भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या

(II) उनके विद्यमान शेयरधारक

इस स्कीम में अधिकथित निम्नलिखित शर्तों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन ऐसे एक्सचेंज में साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेंगे:

(i) कोई पब्लिक भारतीय कंपनी अनुज्ञेय अधिकारिता में साधारण शेयरों का निर्गम करने के लिए पात्र होगी, यदि:

(क) पब्लिक भारतीय कंपनी, उसका कोई प्रवर्तक, प्रवर्तक समूह या कोई निदेशक या विक्रेता शेयरधारकों को उचित विनियामक द्वारा पूँजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित नहीं किया गया है;

(ख) पब्लिक भारतीय कंपनी के प्रवर्तकों या निदेशकों में से कोई किसी अन्य भारतीय कंपनी का प्रवर्तक या निदेशक नहीं हो, जिसे उचित विनियामक द्वारा पूँजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित किया गया है;

(ग) पब्लिक भारतीय कंपनी या उसका कोई भी प्रवर्तक या निदेशक 'ज्ञानकृत व्यतिक्रमी' नहीं है;

(घ) पब्लिक भारतीय कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के अधीन नहीं है;

(ङ) इसका कोई भी प्रवर्तक या निदेशक 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' नहीं है।

(ii) पब्लिक भारतीय कंपनी के विद्यमान धारक शेयरों की प्रास्थापना करने के लिए पात्र होंगे, यदि:

(क) पब्लिक भारतीय कंपनी या साधारण शेयरों की प्रास्थापना करने वाले धारक को उचित विनियामक द्वारा पूँजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित नहीं किया गया है;

(ख) पब्लिक भारतीय कंपनी के प्रवर्तकों या निदेशकों में से कोई भी किसी अन्य भारतीय कंपनी, सूचीबद्ध या अन्यथा, का प्रवर्तक या निदेशक नहीं है, जिसे उचित विनियामक द्वारा पूँजी बाजार तक पहुंचने से विवर्जित किया गया है;

(ग) पब्लिक भारतीय कंपनी या साधारण शेयरों की प्रास्थापना करने वाला धारक 'ज्ञानकृत व्यतिक्रमी' नहीं है;

(घ) पब्लिक भारतीय कंपनी, कंपनी अधिनियम 2013 (2013 का 18) के उपबंधों के अधीन निरीक्षण या अन्वेषण के अधीन नहीं है;

(ङ) पब्लिक भारतीय कंपनी के प्रवर्तकों या निदेशकों या साधारण शेयरों की प्रास्थापना करने वाले धारक में से कोई भी 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' नहीं है।

(2) (I) कोई सूचीबद्ध भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या

(II) इसके विद्यमान शेयरधारक

समय-समय पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधिसूचित मानदंडों के अनुसार शर्तों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन ऐसे एक्सचेंज पर साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेंगे।

(3) (I) कोई पब्लिक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों का निर्गम कर सकेगी या

(II) इसके विद्यमान शेयरधारक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित मानदंडों के अनुसार शर्तों और अन्य अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन ऐसे एक्सचेंज पर साधारण शेयरों की प्रास्थापना कर सकेंगे।

स्पष्टीकरण: पैरा 3 के उपपैरा (1) के खंड (I) और खंड (II) के उपखंड (i) की मद (क) और मद (ख) तथा पैरा (3) के उपपैरा (1) के खंड (I) और खंड (II) के उपखंड (ii) की मद (क) और (ख) में उल्लिखित निर्वधन ऐसे व्यक्तियों या इकाईयों पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें अतीत में सरकार या उचित विनियामक द्वारा विवर्जित किया गया था और अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर इसके साधारण शेयरों के सूचीबद्ध करने की तारीख पर विर्वजन की अवधि समाप्त हो चुकी है।

4. कंपनियों की बाध्यताएं - (1) पब्लिक भारतीय कंपनी साधारण शेयरों के निर्गमन से संबंधित वर्तमान विधियों के साथ इस स्कीम में विहित अपेक्षाओं, प्रतिभूति संविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42), धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2002 का 15), कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18), और तत्थीन बनाए गए नियमों और विनियमों जहां लागू हो, का अनुपालन सुनिश्चित करेगी। इस प्रयोजन के लिए, उक्त पब्लिक भारतीय कंपनी भारतीय निक्षेपागार और विदेशी निक्षेपागार से आवश्यक समझौता भी कर सकेगी।

(2) पब्लिक भारतीय कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा भारत में पूर्वधारित साधारण शेयरों के साथ-साथ एक अनुज्ञेय अधिकारिता में निर्गमित या प्रस्थापित किए जाने वाले साधारण शेयरों का कुल योग, इन नियमों की अनुसूची 1 के अधीन विदेशी धारिताओं की सीमा से अधिक नहीं होगा।

5. मतदान का अधिकार .- अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर अपने साधारण शेयरों को सूचीबद्ध करा चुकी पब्लिक भारतीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे साधारण शेयरों के संबंध में मतदान के अधिकार का उपयोग प्रत्यक्ष रूप से अनुज्ञेय धारक द्वारा या उनके अभिरक्षक के माध्यम से केवल ऐसे अनुज्ञेय धारक के मतदान अनुदेश के अनुसरण किया जाएगा।

6. मूल्य निर्धारण .- (1) जहां साधारण शेयर किसी सूचीबद्ध कंपनी द्वारा निर्गमित किए जाते हैं या भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध साधारण शेयरों के विद्यमान शेयरधारकों द्वारा प्रस्थापित किए जाते हैं, ये शेयर उस मूल्य पर निर्गमित किए जाएंगे जो कि लागू विधियों के अधीन घरेलू विनिधानकर्ताओं के मामले में तत्प्रथानी निर्गमन के लिए लागू मूल्य से कम नहीं होगा।

(2) पब्लिक असूचीबद्ध भारतीय कंपनी द्वारा अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज पर साधारण शेयरों के प्रारंभिक सूचीबद्ध करने की दशा में, साधारण शेयरों के निर्गम या अंतरण की कीमत उक्त अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज द्वारा अनुज्ञात बुक-बिलिंग प्रक्रिया द्वारा अवधारित की जाएगी और विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के अधीन लागू नियमों या विनियमों के अधीन उचित बाजार मूल्य (एफएमवी) से कम नहीं होगा।

परन्तु प्रारंभिक सूचीबद्ध करने के बाद अतिरिक्त शेयरों को सूचीबद्ध करने के प्रयोजन से शेयरों का पश्चात्वर्ती निर्गम या अंतरण अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंज और अनुज्ञेय अधिकारिता में लागू मूल्य निर्धारण मानदंडों पर आधारित होगा।

स्पष्टीकरण:- इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए-

- (क) “उचित विनियामक” से किसी भी वित्तीय क्षेत्र विनियामक या सरकारी मंत्रालय/विभाग अभिप्रेत है जो सूचीबद्ध या असूचीबद्ध कंपनी के लिए लागू अधिनियमों को प्रशासित करती है;
- (ख) “हिताधिकारी स्वामी” का वही अर्थ होगा जो धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 9 के उप नियम (1) के परंतुक में उपबंधित;
- (ग) “विदेशी निक्षेपागार” से एक निगमित इकाई अभिप्रेत है जो निम्न प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय अधिकारिता में रजिस्ट्रीकृत और विनियमित है:-

(i) हिताधिकारी स्वामियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रीति से प्रतिभूतियाँ रखना और प्रतिभूति लेखा का रखरखाव करना; और

(ii) प्रतिभूति लेखा में प्रतिभूतियों के प्रव्यय के परिणामस्वरूप प्रतिभूतियों में अधिकारों या हितों का प्रबंध करना;

स्पष्टीकरण: इस खंड के प्रयोजनों के लिए विदेशी निक्षेपागार में केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार और अंतरराष्ट्रीय केंद्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार सम्मिलित हैं।

(घ) “भगोड़ा आर्थिक अपराधी” का वही अर्थ होगा जो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 (2018 का 17) की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन है;

(ङ) "भारतीय निक्षेपागार" से अभिप्रेत निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में यथापरिभाषित निक्षेपागार है;

(च) "साधारण शेयरों के विद्यमान धारकों द्वारा प्रस्थापना" से कंपनी, भारतीय निक्षेपागार और विदेशी निक्षेपागार के बीच औपचारिक करार के अनुसरण में कंपनी के विद्यमान साधारण शेयरों की प्रास्थापना अभिप्रेत है।

(छ) "प्रस्थापना दस्तावेज़" से पब्लिक निर्गम की दशा में कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन यथानिर्दिष्ट प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस या शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, जो लागू हो, अभिप्रेत है और राइट्स निर्गम की दशा में प्रस्थापना पत्र अभिप्रेत है;

(ज) "ज्ञानकृत व्यतिक्रमी" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे 'ज्ञानकृत व्यतिक्रमी' के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किसी बैंक या वित्तीय संस्था या उसके संघ द्वारा 'ज्ञानकृत व्यतिक्रमी' के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

उपाबंध

अंतरराष्ट्रीय एक्सचेंजों की सूची

1. भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र - इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज, एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज'

[फा.सं. 4/1/ईसीबी/2019]

सुरभि जैन, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का. आ. 3732 (अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा संशोधित किए गए थे:-

- (i) का.आ. 4355 (अ.), दिनांक 5 दिसम्बर 2019;
- (ii) का.आ. 1278 (अ.), दिनांक 22 अप्रैल, 2020;
- (iii) का.आ. 1374 (अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2020;
- (iv) का.आ. 2442 (अ.), दिनांक 27 जुलाई, 2020;
- (v) का.आ. 4441 (अ.), दिनांक 8 दिसम्बर, 2020;
- (vi) का.आ. 3206 (अ.), दिनांक 9 अगस्त, 2021;
- (vii) का.आ. 3411 (अ.), दिनांक 19 अगस्त, 2021;
- (viii) का.आ. 4091 (अ.), दिनांक 5 अक्टूबर 2021;
- (ix) का.आ. 4242 (अ.), दिनांक 12 अक्टूबर 2021 और
- (x) का.आ. 1202 (अ.), दिनांक 12 अप्रैल 2022।

MINISTRY OF FINANCE (Department Of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2024

S.O. 332(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (aa) and (ab) of sub-section (2) of section 46 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) read with sub-section (3) of section 23 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Amendment Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Foreign Exchange Management (Non-debt Instruments) Rules, 2019 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 2-

(i) after clause (aa), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(aaa) “International Exchange” shall mean permitted stock exchange in permissible jurisdictions which are listed at Schedule XI annexed to these rules;’;

(ii) for clause (ag), the following clause shall be substituted, namely:-

‘(ag) “listed Indian company” means an Indian company which has any of its equity instruments or debt instruments listed on a recognised stock exchange in India and on an International Exchange and the expression “unlisted Indian company” shall be construed accordingly;’;

(iii) after clause (ak), the following clause shall be inserted, namely:-

‘(aka) “permissible jurisdiction” means such jurisdiction as notified by the Central Government under sub-clause (f) of sub-rule (3) of rule 9 of Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005;’;

3. In the principal rules, after Chapter IX, the following Chapter shall be inserted, namely:-

‘CHAPTER X

INVESTMENT BY PERMISSIBLE HOLDER IN EQUITY SHARES OF PUBLIC COMPANIES INCORPORATED IN INDIA AND LISTED ON INTERNATIONAL EXCHANGES

34. Investment by permissible holder .- (1) A permissible holder may purchase or sell equity shares of a public Indian company which is listed or to be listed on an International Exchange under Direct Listing of Equity Shares of Companies Incorporated in India on International Exchanges Scheme as specified in Schedule XI.

(2) The mode of payment and other attendant conditions for remittance of proceeds of issue shall be as specified by the Reserve Bank.’.

4. In the principal rules, after the Schedule X, the following Schedule shall be inserted, namely:-

‘SCHEDULE XI

[See rule 34]

Direct Listing of Equity Shares of Companies Incorporated in India on International Exchanges Scheme

1. Issue and Listing on International Exchanges .- A public Indian company may issue equity shares or offer equity shares of existing shareholders, subject to the following conditions, namely:-

- (i) such issue or offer of equity shares of existing shareholders shall be permitted and such shares shall be listed on any of the specified International Exchange.
- (ii) such issue or offer of equity shares of existing shareholders shall be subject to prohibited activities, and sectoral caps prescribed in paragraph 2 and 3 of Schedule I to these rules;
- (iii) such equity shares to be issued by the public Indian company or offered by its existing shareholders on an International Exchange shall be in dematerialised form and rank *pari passu* with equity shares listed on a recognised stock exchange in India:

Provided that the prior Government approval, wherever applicable, shall be obtained.

2. Permissible holder .- (a) permissible holder means a holder of equity shares of the Company which are listed on International Exchange, including its beneficial owner:

Provided that such a holder who is a citizen of a country which shares land border with India, or an entity incorporated in such a country, or an entity whose beneficial owner is from such a country, shall hold equity shares of such public Indian company only with the approval of the Central Government.

Explanation 1.- For the purposes of this clause, permissible holder is not a person resident in India.

Explanation 2.- The permissible holder, including its beneficial owner, shall be responsible for ensuring compliance with this requirement. The public Indian company, in its offer document, by whatever name called in the permissible jurisdiction, shall make a disclosure to this effect.

(b) a permissible holder may purchase or sell equity shares of an Indian company listed on an international exchange subject to limit specified for foreign portfolio investment under these rules.

3. Eligibility .- (I) a public Indian company may issue equity shares on International Exchange; or

(II) the existing shareholders may offer equity shares in such exchange,

subject to compliance with the following conditions and other requirements as laid down in this Scheme:

- (i) a public Indian company shall be eligible to issue equity shares in permissible jurisdiction, if-
 - (a) the public Indian company, any of its promoters, promoter group or directors or selling shareholders are not debarred from accessing the capital market by the appropriate regulator;
 - (b) none of the promoters or directors of the public Indian company is a promoter or director of any other Indian company which is debarred from accessing the capital market by the appropriate regulator;
 - (c) the public Indian company or any of its promoters or directors is not a wilful defaulter;
 - (d) the public Indian company is not under inspection or investigation under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (e) none of its promoters or directors is a fugitive economic offender.
- (ii) Existing holders of the public Indian company shall be eligible to offer shares, if-
 - (a) the public Indian company or the holder offering equity shares are not debarred from accessing the capital market by the appropriate regulator;
 - (b) none of the promoters or directors of the public Indian company is a promoter or director of any other Indian company, listed or otherwise, which is debarred from accessing the capital market by the appropriate regulator;
 - (c) the public Indian company or the holder offering equity shares is not a wilful defaulter;
 - (d) the public Indian company is not under inspection or investigation under the provisions of the Companies Act, 2013 (18 of 2013);
 - (e) none of the promoters or directors of the public Indian company or the holder offering equity shares is a fugitive economic offender.

(2) (I) a listed Indian company may issue equity shares on International Exchange; or

(II) the existing share holders may offer equity shares in such exchange,

subject to compliance with the conditions and other requirements as per the norms notified by the Securities and Exchange Board of India from time to time.

(3) (I) a public unlisted Indian company may issue equity shares on International Exchange; or

(II) the existing share holders may offer equity shares in such exchange,

subject to compliance with the conditions and other requirements as per the norms notified by the Ministry of Corporate Affairs from time to time.

Explanation.-The restrictions mentioned at items (a) and (b) of sub-clause (i) of clauses (I) and (II) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 and items (a) and (b) of sub-clause (ii) of clauses (I) and (II) of sub-paragraph (1) of paragraph 3 shall not apply to the persons or entities mentioned therein, who were debarred in the past by the Government or the appropriate regulator and the period of debarment is already over as on the date of listing of its equity shares on the International Exchange(s).

4. Obligations of companies .- (1) The public Indian company shall ensure compliance with extant laws relating to issuance of equity shares, including requirements prescribed in this Scheme, the Securities Contracts (Regulation) Act,1956 (42 of 1956), the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), the Foreign Exchange Management Act,1999(42 of 1999), the Prevention of Money-laundering Act, 2002 (15 of 2003) or the Companies Act, 2013 (18 of 2013) and rules and regulations made thereunder, as applicable. For this purpose, the said public Indian company may also enter into necessary arrangements with Indian Depository and Foreign Depository.

(2) The public Indian company shall ensure that the aggregate of equity shares which may be issued or offered in a permissible jurisdiction, along with equity shares already held in India by persons resident outside India, shall not exceed the limit on foreign holding under the Schedule I to these rules.

5. Voting rights .- The public Indian companies having their equity shares listed on International Exchange shall ensure that the voting rights on such equity shares shall be exercised directly by the permissible holder or through their custodian pursuant to voting instruction only from such permissible holder.

6. Pricing .- (1) Where equity shares are issued by a listed company or offered by the existing shareholders of equity shares listed on Recognised Stock Exchange in India, the same shall be issued at a price, not less than the price applicable to a corresponding mode of issuance of such equity shares to domestic investors under the applicable laws.

(2) In case of initial listing of equity shares by a public unlisted Indian company on the International Exchange, the price of issue or transfer of equity shares shall be determined by a book-building process as permitted by the said International Exchange and shall not be less than the fair market value under applicable rules or regulations under the Foreign Exchange Management Act, 1999(42 of 1999):

Provided that subsequent issuance or transfer of shares for the purpose of listing additional shares post initial listing would be based on applicable pricing norms of the International Exchange and the permissible jurisdiction.

Explanation.- For the purposes of this Scheme-

- (a) “appropriate regulator” means any financial sector regulator or Government Ministry or Department administering Acts applicable to the company, listed or unlisted;
- (b) “beneficial owner” shall have the same meaning as provided in proviso to sub-rule (1) of rule 9 of the Prevention of Money-laundering (Maintenance of Records) Rules, 2005;
- (c) “foreign depository” means a corporate entity registered and regulated in a permissible jurisdiction for the purpose of –
 - (i) holding securities and maintaining securities accounts for beneficial owners in an electronic manner; and
 - (ii) managing rights or interests in securities resulting from the credit of securities to a securities account.

Explanation.- For the purposes of this clause “foreign depository” includes Central Securities Depositories and International Central Securities Depositories.

- (d) “fugitive economic offender” shall have the same meaning as assigned to it under clause (f) of sub-section (1) of section 2 of the Fugitive Economic Offenders Act, 2018 (17 of 2018);
- (e) “Indian depository” means a depository as defined in clause (e) of sub-section (1) of section 2 of the Depositories Act, 1996 (22 of 1996);
- (f) “offer by existing holders of equity shares” means offer of existing equity shares of the company pursuant to formal agreement among the company, the Indian Depository and the Foreign epository;
- (g) “offer document” means a prospectus, red herring prospectus, or shelf prospectus, as applicable, as referred to in clause (70) of section 2 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), in case of a public issue, and a letter of offer in case of a rights issue;
- (h) “wilful defaulter” means a person who is categorised as a wilful defaulter by any bank or financial institution or consortium thereof, in accordance with the guidelines on wilful defaulters issued by the Reserve Bank of India.

Annexure
List of International Exchanges

1. International Financial Services Centre in India- India International Exchange, NSE International Exchange.’.

[F. No. 4/1/ECB/2019]

SURBHI JAIN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O.3732 (E), dated the 17th October, 2019 and subsequently amended *vide* notification numbers: -

- (i) S.O. 4355 (E), dated the 5th December 2019;
- (ii) S.O. 1278 (E), dated the 22nd April, 2020;
- (iii) S.O. 1374 (E), dated the 27th April, 2020;
- (iv) S.O. 2442 (E), dated the 27th July, 2020;
- (v) S.O. 4441 (E), dated the 8th December, 2020;
- (vi) S.O. 3206 (E), dated the 9th August, 2021;
- (vii) S.O. 3411 (E), dated the 19th August, 2021;
- (viii) S.O. 4091 (E), dated the 5th October 2021;
- (ix) S.O. 4242 (E), dated the 12th October 2021; and
- (x) S.O. 1202 (E), dated 12th April 2022.